मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल–462004

–::विज्ञापन::–

"मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में स्थायी लेखा सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन"

भोपाल,दिनांक 08 / 06 / 2023

क्रमांक–एफ–ए6–17 / 2015 / 1 / पॉच

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में एक स्थायी लेखा सदस्य की नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैः–

1. निर्धारित अर्हताः–

आवेदकः–(क) चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कम से कम 10 वर्षो तक विक्रय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर में लेखाकर्म का व्यवसाय कर चुका हो।

अथवा

मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सदस्य हो तथा इस सेवा का न्यूनतम 30 वर्षो तक सदस्य रह चुका हो तथा इस सेवा के तहत (i) संचालक या अतिरिक्त आयुक्त का पद धारण कर चुका हो या (ii) कम से कम 03 वर्षो तक उप आयुक्त का पद धारण कर चुका हो।

(ख) दिवालिया न्यायनिर्णीत ना हुआ हो, या

(ग) ऐसे अपराध का जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, सिद्धदोष नहीं ठहरा दिया गया हो, या

(घ) मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ नहीं हो।

2. वेतन भत्तें एवं अन्य शर्तेः–

1. लेखा सदस्य की नियुक्ति म.प्र.वेट अधिनियम 2002 की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्ति दिनांक से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु सीमा(जो पहले हो) होने तक कार्यकाल के लिए होगी।
2. नियुक्त सदस्य जब पद पर नहीं रह जाता है, तब वह म.प्र.वेट अधिनियम 2002 के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या पक्ष समर्थन के लिए पात्र नहीं होगा।
3. नियुक्त सदस्य को राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी को देय मासिक वेतन एवं भत्तें प्राप्त होंगे किन्तु यदि वह मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा से पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुका है, तो सचिव को देय मासिक वेतन एवं भत्तें में से उसे दी जा रही मासिक पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी।
4. मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा के सेवारत सदस्य की नियुक्ति लेखा सदस्य के रूप में होने पर, उस तारीख को, जिसको कि वह सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करता है, म.प्र. राज्य कराधान सेवा से सेवानिवृत्त हो गया समझा जाएगा, किन्तु सदस्य के रूप में उसकी पश्चातवर्ती सेवा, उसे लागू नियमों के अधीन पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के लिए, मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा में उसकी सेवा के रूप में सम्मिलित की जाएगी।
5. मासिक वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त राज्य कराधान सेवा से नियुक्त सदस्य की सेवा की अन्य शर्ते, उस सेवा के सदस्य को लागू नियमों द्वारा विनियमित की जाएगी।

3. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः–

1. आवेदन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आवेदन पत्र के साथ 03 वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, जिसमें व्यवसायिक सेवा मद मे आय दर्शाई गई हो।
2. आवेदन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा कम से कम 10 वर्षो तक विक्रय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर में लेखाकर्म का व्यवसाय किये जाने का आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. इंदौर द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

.......2

4. **आवेदन की अंतिम तिथिः–**

सम्पूर्ण विवरण के साथ आवेदन सादे कागज पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल को पंजीकृत डाक से दिनांक 27.06.2023 तक तथा आवेदन पत्र की स्केन की हुई प्रति ई–मेल के माध्यम से pscommtax@mp.gov.in पर भी दिनांक 27.06.2023 तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

Letter